



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

नियम

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिचालन प्रदेश)

लखनऊ, बुधवार, 4 सितम्बर, 1987

भाद्रपद 13, 1909 भाक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

ग्राम विकास अनुभाग-5

संख्या—4421/11-5-87-109 एल० ए०-87

लखनऊ, 4 सितम्बर, 1987

अधिसूचना

पृष्ठ संख्या—295

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गयी सरकारी अधिसूचना संख्या—4256/11-5-87-109 एल० ए०-87 दिनांक 14 अगस्त, 1987 के क्रम में राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन यह घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की, लोक प्रयोजन अर्थात् सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत भेरेड विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम भाला, परतौर कुण्डा, कसनपुर घोपला, प्रछरोडा, काशी, नगराशेर खार एवं रिठानी परगना, तहसील व जिला मेरठ में आवासीय/व्यवसायिक/प्रौद्योगिक भवनों के निर्माण के लिए आवश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गैर-भूमि के भले-बदले को निदेश देते हैं कि उक्त वं भूमि का अर्जन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें।

2—चूंकि राज्यपाल का समाधान हो गया है कि यह मामला आवश्यक है, इसलिए व उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि यद्यपि धारा 11 के अन्तर्गत कोई अभिनिर्णय नहीं दिया गया है, मेरठ के कलेक्टर उक्त लोक प्रयोजन के लिये नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर गजट धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से पन्द्रह दिन के अवसान पर कर सकते हैं।

टिप्पणी—नियमों में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी गई है।

1	2	3	4	5	6	7
मेरठ--(असमान)	मेरठ--(असमान)	रिथानी--(असमान)		वि०	वि०	वि०
Meerut--(Contd.)	Meerut--(Contd.)	Rithani--(Contd.)		B.	B.	B.
		570		0	8	0
		571		0	5	0
		572		0	4	0
		573		1	11	0
		580/1		4	7	0
		580/2		0	10	0
		581/1 ✓		2	1	1
		581/2 ✓		0	16	0
		581/3 ✓		2	6	13
		582 ✓		0	6	0
		584 ✓		0	14	0
		605/2		0	2	10
		606/1		0	2	0
		606/2		0	5	0
		607		0	2	0
		608		0	2	0
		609		0	10	0
		610		0	2	0
		611		1	16	0
		612		1	5	0
		613		0	19	0
		615		1	3	0
		616		0	13	0
		617/2		0	1	0
		619/2		0	1	0
		621		0	11	0
		628/1		1	7	0
		637/1		1	10	0
		537/2		0	8	0
		638		1	0	0
		639/1		0	3	0
		639/2		0	1	0
		640		0	15	0
		641		0	3	0
		642/2		2	14	10
		662		2	5	0
		664		1	9	0
		665/2		0	4	16
		666		0	8	0
		667		0	3	4
		668		0	7	0
		669		0	12	0
		670/1		0	8	0
		670/2		0	8	0
		671		0	8	0
		672		0	8	0
		673		0	17	0
		674		0	6	0
		775		0	8	0
		676		0	5	0
		677		0	10	0